

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (22)आकाश/चि.सं./2018/126

दिनांक- 24.05.18

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1998 तथा कर्तव्यी नियम, 1998 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत वैधानिक स्तर 2018-19 से 2020-2021 (तीन सत्र) तक स्नातक स्तर पर नवीन निजी महाविद्यालय संचालन हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विरपदिष्ट तालय	पाठ्यक्रम
श्री मत्स्य जन कल्याण समिति सालोदा मोड मंगलपुर सिटी, रावईमधोपुर-322201।	श्री मत्स्य कॉलेज ऑफ एज्युकेशन नियर किंग हॉस्पिटल सालोदा मोड मंगलपुर सिटी, रावईमधोपुर-322201।	कोटा विश्वविद्यालय कोटा।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय- निरञ्जना, गृहविज्ञान, संस्कृत, समाजशास्त्र, सप्रेमी साहित्य, हिन्दी साहित्य, भूगोल, इतिहास राजनीतिविज्ञान। विज्ञान संकाय- भौतिकशास्त्र, पनस्पति शास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणिसास्त्र, गणित।

- संस्था अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार गय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
- संस्था सत्र 2021-22 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अधिवृद्धि हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था विचार के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालय हेतु प्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पर्यन्त तीन सत्रों में मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर स्वयं के मूलन का निर्माण पूर्ण करेगी।
- संस्था द्वारा संचालित जमा शरीर (एफ.डीआर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया जमिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था संबंधित विरपदिष्ट विद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा निजी महाविद्यालय के प्रकरण में बीएसईआईटी से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्परचात ही निष्कार्षिणी को प्रवेश दिया जाये।
- संस्था प्रथम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यतावादी प्राचार्य, आर्बिटेड विषयों के बाह्यतः पुरतकालवाक्यध एवं पी.टी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यतावादी अरीक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।
- संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रदेश नीति 2018-19 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से मासिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण रूपनये पर्यन्त आयुक्तालय को भेजेगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबसाइट www.aicse.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) पर्यन्त अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्परचात महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी तालामी -5 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्ता
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- निश्चित अधिक, माध उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अनिश्चित मुख्य अधिक, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, रावईमधोपुर।
- कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
- सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय-322201।
- राष्ट्रियकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- सहीत प्रभावती।

संयुक्त-निदेशक, नि0सं0
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर



क्रमांक: एफ4 () काठी/नि.सं./2018 27

दिनांक:- 10/8/2021

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा राजस्थानी नियम, 1989 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत निम्न महाविद्यालय को सत्र 2021-22 एवं 2022-23 (दो सत्र) हेतु स्नातक स्तर निम्नलिखित विषय/संकाय में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अधिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

सहायक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संघालित संकाय व विषय
श्री मन्सू जनकल्याण सोसिटी, शालीवा मंड, जयपुर सिटी, सवाईमधोपुर।	श्री मन्सू कॉलेज ऑफ एजुकेशन, राम- बाइ खुर्द ग्राम, संघालत- बाइ कला, तहसील मंगानपुर सिटी, सवाईमधोपुर।	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय-हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र, गृहविज्ञान, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास, चित्रकला। विज्ञान संकाय- भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, पशु।

1. संस्था सत्र 2023-24 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
2. संस्था अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मध्य वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
3. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफडीआर) का प्रत्येक 5 वर्ष में वरीलीकरण करवा जमा अनिवार्य होगा।
4. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संकाय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अनिलेख उपलब्ध करायेगी।
5. संस्था को समय-समय पर युजीसी/राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
6. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा निम्न महाविद्यालय के प्रकरण में बीपीएड/आईओ से स्नातक व शिक्षाविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
7. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त तब, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तब संस्था सीटों में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु युजीसी अर्हाबारी प्रचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2021-22 तथा तब से जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक साक्ष्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture Format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।
उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त
 कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विभिन्न सहायक, माओ उच्च शिक्षा मंत्री महादय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, सवाईमधोपुर।
4. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
5. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
6. साक्ष्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. पीठ पत्रावली।

सहायक-निदेशक (नि.सं.)
 कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर